विषय :- **बच्चे के साथ गंभीर मारपीट करने पर कार्यवाही करने हेतु** ।

महोदय,

सविनय निवेदन ही कि मेरा नाम जितेन्द्र मीणा, हाल निवासी प्लाट नंबर - 116, गुरु गोविन्द विहार, रामदास नगर चौराहा, कोटा (राज.) में रहता हूँ । दिनाक 30.10.2025 को समय शाम 5:10 बजे मेरा बेटा नक्षत्र उम्र-8 साल कोलोनी के बच्चो के साथ मंदिर के पास खेल रहा था। खेलते समय बच्चे की साइकिल दूसरे बच्चे की साइकिल से टकरा गई इसी घटना को लेकर दूसरे बच्चे के परिजन देवेन्द्र, निवासी प्लाट नं. 53 गुरु गोविंद विहार, रामदास नगर चौराहा, कोटा (राज.) ने मेरे बेटे साथ गंभीर मारपीट शुरू कर दी | दूसरे बच्चे (रूद्र) के परिजन देवेन्द्र ने मेरे बेटे को गालों पर इतना मारा कि उसका गाल व आँख बुरी तरीके से सूज गये जिनके निसान आज तक है साथ ही उसने मेरे बेटे के सिर व पेट में मुक्के मारे । इसके बाद भी परिजन देवेन्द्र ने बच्चे को उठा उठाकर रोड पर फेंका और आगे से जान से मारने की धमकी भी दी | इस घटना से मेरे बेटे की आँख फुट सकती थी, कान के परदे फट सकते थे, हड्डियाँ टूट सकती थी या जान भी जा सकती थी ।

यह घटना मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है क्योकी दूसरे बच्चे (रूद्र) के परिजन देवेन्द्र कोलोनी में अन्य बच्चो के साथ भी मारपीट करता रहता है जोकि दुसरे बच्चो के लिए भी खतरा है| और भविष्य में मेरे बेटे या मेरे साथ भी अनहोनी कर सकता है | इसलिए बच्चो की सुरक्षा हेतु कृपया आप मेरी शिकायत पर ध्यान दे और उचित कार्यवाही करें। अगर आपको किसी और जानकारी की जरूरत हो तो मै इसे तुरंत उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहूँगा । आपकी इस सहायता के लिये मैं सदा आपका आभारी रहूँगा ।

नोट - इस घटना के लिए मै क्षेत्रीय पुलिस थाना (रेल्वे कोलोनी थाना, कोटा) में घटना की दिनाक 30.10 2025 को रात 8:50 बजे लिखित में रिपोर्ट देकर भी आया लेकिन उन्होंने न तो मुझे रिपोर्ट प्राप्ति कॉपी दी और न ही अभी तक कोई कार्यवाही की | अभी तक मेरे बेटे का मेडिकल भी नही करवाया है|

धन्यवाद

प्रार्थी – जितेन्द्र मीणा, Mob. 8890434342

घटना दिनाक 30.10 2025 सांय 5:10 बजे

पता : प्लाट नंबर - 116, गुरु गोविन्द विहार,

रामदास नगर चौराहा, कोटा (राज.) – 324002

अप्रार्थी – देवेन्द्र, निवासी प्लाट नं. 53 गुरु गोविंद विहार,

रामदास नगर चौराहा, कोटा (राज.) - 324002